न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–163/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00160)

1. सन्तोष उम्र करीब 48 साल बेवा शेरसिंह,
2. मुकेश कुमार उम्र करीब 28 साल पुत्र शेरसिंह, जाति चमार निवासी ग्राम गण्डवा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. बोहती उम्र करीब 75 साल बेवा मोहरसिंह,
2. सन्तो देवी उम्र करीब 48 साल पुत्री मोहरसिंह,
3. माया देवी उम्र करीब 46 साल पुत्री मोहरसिंह,
4. मैना देवी उम्र करीब 44 साल पुत्री मोहरसिंह,
5. गीता देवी उम्र करीब 42 साल पुत्री मोहरसिंह, जाति चमार हरिजन निवासी ग्राम गण्डवा, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.01.18

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के आदेश दिनांक 24.06.2015 (प्रकरण संख्या 11ए/08) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के समक्ष प्रथम अपील की सुनवाई के समय पत्रावली रेस्पोडेन्ट सन्तोष व मुकेश ने पक्षकारान के मध्य रेगुलर राजस्व वाद संख्या 1/456 प्रवेश दिनांक 23.10.2007 उनवान श्रीमती बोहती वगैरा बनाम श्रीमती संतोष वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की सत्याप्रति साक्ष्य में पेश की थी, उपरोक्त वाद पक्षकारों के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में दिनांक 23.10.2007 से विचाराधीन है, उक्त वाद के वाद पत्र के जिस नम्बर 4 व 5 में हाण्डा, जाति चमार निवासी गण्डवा तहसील तिजारा की विरासत व वारिसान की बाबत अंकन है तथा विचाराधीन वाद मे हाण्डा मृतक के वारिसान का निर्णय किया जावेगा तथा तहसीलदार तिजारा को नामान्तरकरण के जरिये हांडा मृतक के वारिसान की बाबत निर्णय करने का कोई विधिक अधिकार नही है, नामान्तरकरण केवल फिसकल कार्यवाही इसलिये अधीनथ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 24.06.2015 विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम गण्डवा तहसील तिजारा जिला अलवर ग्राम पंचायत चूहड़पुर ने पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये जाने के पश्चात् हांडा मृतक के उत्तराधिकारीगण की बाबत पूरी जांच कर नामान्तरकरण मृतका हांडा की बेवा मु. जुम्मी व हांडा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मृतक के पुत्र शेरसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत चूहड़पुर द्वारा दिनांक 07.02. 1985 को स्वीकार किया गया है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम गण्डवा दिनांक 07.02.1985 की जानकारी शुरू से ही रही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की अपील स्पष्ट मियाद बाहर पेश हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अन्दर मियाद घोषित भी नही किया गया और अपील जाहिर तौर पर बैरून मियाद होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार टपूकड़ा को प्रतिप्रेषित करने की आज्ञा विधिक प्रावधानों के विरूद्ध पारित की है, जो काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 07.02.1985 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 09.07.2008 को पेश हुई जो लगभग 23 वर्ष 5 माह 2 दिन के विलम्ब से पेश हुई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जाना चाहिये था। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम गण्डवा दिनांक 07.02.1985 को आंशिक रूप से निरस्त किया है और आंशिक रूप से नामान्तरकरण के अस्तित्व को बहाल किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विसंगतियों के दोष से ग्रसित है क्योंकि नामान्तरकरण को टूकडो में नही बांटा जा सकता और ग्राम पंचायत चूहड़पुरा की आज्ञा दिनांक 07.02.1985 को भी टूकडों में विभाजित नही किया जा सकता इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा न्यायिक विधि के विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट श्रीमती संतोष बेवा शेरसिंह व मुकेश पुत्र शेरसिंह ने एवं उनकी और से नियुक्त अभिभाषक से स्पष्ट रूप से कहा गया और बहस भी की थी कि बोहती एवं उसकी लड़किया मृतक हांडा के वारिसान नही है और ग्राम चूहड़पुर ने हांडा मृतक के वारिसान की जो करने पश्चात् नामान्तरकण संख्या 66 ग्राम गण्डवा दिनांक 07.02.1985 को स्वीकार किया है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य या दस्तावेज रिकार्ड नही था जिससे यह जाहिर या साबित हो सके कि अपीलान्ट हांडा मृतक के वारिसान है अपीलान्ट बोहती बगैरहा हांडा मृतक के वारिसान नही है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 24. 06.2015 तथ्यों के विपरित एवं विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 24.06.2015 निरस्त की जावें तथा ग्राम पंचायत चूहड़पुर तहसील तिजारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 66 ग्राम गण्डवा तहसील तिजारा दिनांक 07.02.1985 को बहाल किया जाने के आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हाण्डा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

के वारिसान है तथा खातेदार हाण्डा के फौत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा मृतक हाण्डा के वारिसान की बिना जांच किये ही नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 07.02.1985 को स्वीकार किया गया था जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते है अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान की बिना जांच किये ही नामान्तरकरण संख्या 66 स्वीकार किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार टपूकडा को मृतक हाण्डा के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर नामान्तरकरण की पुनः कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।